-::निर्णय::-

दिनांक 08.10.2025

अधिवक्ता प्रार्थी श्री श्योप्रकाश जाखड़ द्वारा पेश यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की तहसील हनुमानगढ के चक 16 एसएसडब्लयु जमाबन्दी संवत 2075-78 खाता संख्या 194/196 पत्थर नं0 126/293 (40) किला नं0 4, 5/1/.228, 5/2/.025, 6/1/.228, 6/2/.025, 7, 14/1/.196, 15/2/.025, 15/3/.171 व प0नं0 128/293 (38) किला नं0 16, 17, 24, 25 कुल 2.416 हैक्टयर कृषि भूमि दर्ज है। चित्रप्रति जमाबन्दी सलंग्न प्रार्थना-पत्र है।

यह कि तहसील हनुमानगढ के चक 16 एसएसडब्लयु जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या 29/20 के पत्थर नं0 126/292 (31) किला नं0 4 से 7, 15, 16, 25 व प0नं0 127/292 (32) किला नं0 18/1/.155, 19, 20, 23/2/.221 कुल 2.653 हैक्टयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रति जमाबन्दी सलंग्न प्रार्थना-पत्र है।

यह कि प्रार्थना-पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने-जाने हेतु कोई मंजूरशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतू चक 16 एस एस डब्लयु के पत्थर नं0 126/292 (31) किला नं0 3, 4 व 6 में बनी नहर के पश्चिमी ओर चल रहे रास्ता से होते हुए किला नं0 6 में नहर के उपर बनी उतर से दक्षिण पूलीयां से होते हुए अप्रार्थी सं0 1 व 2 की कृषि भूमि चक 16 एस एस डब्लयु के पत्थर नं0 126/292 (31) किला नं0 15-16-25 में पत्थर लाईन से चिपते हुए उतर से दक्षिण 16.5 फुट चौडाई में व 495 फुट लम्बाई का रास्ता सबसे नजदीक व छोटा तथा काश्त के प्रयोजनार्थ हेतू, प्रार्थी के लिए उपायुक्त व सुविधाजनक हैं। प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने हेतू उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है व यही रास्ता प्रार्थी के लिए चल रहे रास्ता से नजदीक व सुविधाजनक है, लेकिन उक्त रास्ता राजस्व अभिलेख में मंजूरशुद्वा नही होने से व रास्ता के अभाव में प्रार्थी को अपने कृषि यन्त्र व कृषि उपज का माल लाने ले जाने में भारी असुविधा होती है, इस कारण प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 व 2 की कृषि भूमि चक 16 एस एस डब्लयु के पत्थर नं0 126/292 (31) किला नं0 15-16-25 में पत्थर लाईन से चिपते हुए उतर से दक्षिण 16.5 फुट चौडाई में व 495 फुट

लम्बाई का रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है, जिसका कि प्रार्थी अधिकारी व दावेदार है। इस हेतु प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 व 2 की रास्ता में आई भूमि के बदले अपनी उक्त वर्णित भूमि में से उतनी भूमि अथवा इस भूमि की डी एल सी की दोगुणी राशि देने को तत्पर एवं तैयार है।

यह कि प्रार्थी ने अर्सा दो दिवस पूर्व अप्रार्थीगण से प्रश्नगत रास्ता को राजस्व अभिलेख में स्वीकृत करवाने व इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करवाने हेतु निवेदन किया तो वह इन्कार हो गये। यही विनाये प्रार्थना-पत्र है।

यह कि अप्रार्थी संख्या 3 को उक्त कृषि भूमि का भू-धारक होने से पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो कि उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 1 व 2 की कृषि भूमि चक 16 एस एस डब्लयु के पत्थर नं0 126/292 (31) किला नं0 15-16-25 में पत्थर लाईन से चिपते हुए उतर से दक्षिण 16.5 फुट चौडाई में व 495 फुट लम्बाई का रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख में अंकन किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

» प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1, 2 तलबी उपरांत हाजिर नहीं आने के कारण इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार हनुमानगढ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की कार्यवाही एक संक्षिप्त विचारण है जिसकी मंशा यह है कि काश्तकारों को अपनी खातेदारी जोत तक पहुंचने के लिए निर्बाध रूप से रास्ता प्राप्त होना चाहिए। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानान्तर्गत भू.अ.निरीक्षक या उससे वरिष्ट स्तर के राजस्व अधिकारी से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) के संबध में रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु निम्नाकिंत बिन्दूओं का विवेचन किया गया-

1 रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता।
2 वैकल्पिक रास्ते का अभाव।
3 नया मार्ग लघुतम रूट से हो।

पत्रावली में मौजूद जमाबंदी, नजरी नक्शा व प्रकरण में तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा प्रेषित पत्रांक राजस्व/राजकाल/16848920 दिनांक 29.07.2025 मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसमें अंकन किया गया है कि प्रार्थी के खेत से निकटतम दूरी से प.न. 127/293 मु.न. 39 कि.न. 5,6,15,16,25 में स्वीकृतशुदा रास्ता निकलता है। अप्रार्थीगण के रकबा प.न. 126/292 मु.न. 31 कि.न 4, 5, 6 में से एफटीबी नहर निकलती है और इस नहर के बाई साइड का पटड़ा आवागमन हेतु सभी काश्तकारों द्वारा काम में लिया जाता है। यदि नहर के इस पटड़ा से प्रार्थी को चाहे अनुसार रास्ता प.न. 126/292 मु.न 31 कि.न. 15, 16, 25 में प्रत्येक किले के पूर्वी सींव पर रास्ता प्रदान किया जाता है तो प्रार्थी के लिए सुविधाजनक होगा। प्रार्थी को अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है रास्ता प्रदान किया जाना अन्यंत आवश्यक है। प्रतिप्रक्ष रास्ता स्वीकृति प्रदान करने में सहमत नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस प्रार्थीपक्ष सुनी गई। चूंकि धारा 251ए एक संक्षिप्त विचारण है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। मनन उपरांत यह निष्कर्ष है कि प्रार्थी द्वारा याचित रास्ता से सुगमता से प्रार्थी अपनी जोत तक पहूंच सकता है। प्रार्थी को अपनी जोत में पहूंच का रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251 (1) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत प्रदान किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई भी स्वीकृतशुदा रास्ता उपलब्ध है। मुताबिक

तहसीलदार रिपोर्ट व नजरी नक्शा के प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता से ही अपनी खातेदारी जोत तक प्रार्थी पहूंच सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251(1) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में तहसीलदार मौका रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा अनुतोष में वांछित रास्ता में लघुतम दूरी का होना, वैकल्पिक मार्ग का नही होना और मार्ग की अत्यांतिक आवश्यकता का होना पाया गया है। प्रार्थी उक्त तीनों बिंदुओ को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 251 ए में वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में स्वीकार किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त विवेचन उपरांत आदेश दिए जाते है कि:-

-:क्रिन्याविति आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर 16 एसएसडब्लयु के पत्थर नं0 126/292 (31) किला नं0 15-16-25 में प्रत्थर लाईन से चिपते हुए उत्तर से दक्षिण 16.5 फुट चौडाई में व 495 फुट लम्बाई का रास्ता स्वीकृत रास्ता स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत किये गये रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थी राजाराम के नाम दर्ज प.न. 126/293 मु.न. 40 कि.न. 5 के उत्तरी दिशा में अप्रार्थी के चिपते पूर्व से पश्चिम भूमि कम की जाकर अप्रार्थीगण को ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेश दिए जाते है कि उक्तानुसार पालना करे व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, आरटीए 251-ए (2) के तहत उक्त मंजूरशुद्धा रास्ते का राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) के रूप में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे इजलास सुनाया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ